

IS15700:2018



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय- अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड- कानपुर-03

स्पिनिंग मिल परिसर, इटावा

Email ID :- cu.etawah@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो



IS 15700



पत्र संख्या 924/

M-2 / 36

दिनांक 11/11/2025

अल्प कालीन ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी फर्मों/ठेकेदारों से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य हेतु आनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है जो उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इटावा स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। कार्य की मात्रा बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) जी0एस0टी0 अतिरिक्त	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रु में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	7	8
01	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद औरैया में योजना सं0 1, औरैया में सीवर का अनुरक्षण कार्य।	Rs. 120.00	Rs 2.40	Rs. 4500.00+810.00 (18% GST) = 5310.00	06 माह	श्रेणी-11

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	13.11.2025 (4:00 PM)
Document Download End	24.11.2025 (5:00 PM)
Bid Submission Start	14.11.2025 (11:00 AM)
Bid Submission Closing	25.11.2025 (12:00 PM)
Technical Bid Opening	25.11.2025 (2:30 PM)
Financial Bid Opening	To be notified later after evaluation of technical bid
Pre Bid Meeting	At EE, CD-Kanpur-03 Office Time 2.00 PM Dt. 19.11.2025

ई-निविदा हेतु निम्न व शर्तें

- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाईट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- ई-निविदा प्रपत्र एवम् धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। फर्म द्वारा धरोहर धनराशि एवम् निविदा शुल्क की पुष्टि बैंक से होने के पश्चात ही निविदा पर विचार किया जाएगा।
- ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि दिनांक 25.11.2025 से एक कार्यालय दिवस पूर्व दिनांक 24.11.2025 की सांय 5.00 बजे तक कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। जनरल सिक्योरिटी जमा होने पर अपेक्षित सिक्योरिटी से कम होने पर अंतर धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में निम्न बैंक खाते में उक्त नियत तिथि व समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। खाते का विवरण निम्नवत् है-

lyle
JE

Value
AE

★

Concerning Division Office

Name of Bank
Name of Account Holder
A/c No.
IFSC

:-
:-
:-
:-
:-

Executive Engineer, Construction Division Kanpur-03
Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Etawah.
HDFC Bank, Etawah.
Executive Engineer, Construction Division Kanpur-03, Etawah
50100842002490
HDFC0001893

4. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रॉयल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
5. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर ले क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
8. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत केनेरा बैंक को छोड़कर, एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, कानपुर-3, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, इटावा के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0 4, टी0 5, अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
12. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 एवम् लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0(टी0डी0एस0), रॉयल्टी एवम् अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जाएंगे की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
13. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त समस्त अन्य कर सम्मिलित माने जाएंगे। सम्बन्धित फर्म को मात्र जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा एवम् फर्म के देयको से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती कर भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया जाएगा।
14. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
15. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे तथा केवल परिषद में अनुमोदित ब्रान्ड/मेक की सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा।
16. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
19. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदा की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद इटावा होगा।

Signature
JE

Varsh
AE

Signature

22. शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08 टी.सी.-2/दिनांक 08.06.2012 एवम् आवास एवम् विकास परिषद के मुख्यालय के पत्र संख्या 1282/एम0-2 दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत निविदा की दर बी0ओ0क्यू0 (Below) होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी। वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर धनराशि जम्ब करके हुये निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परफारमेन्स/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जाएगी।
23. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रू० 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू० 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
24. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण/हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश/एफ0डी0आर0 के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
25. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
26. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
27. वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGT/TIM की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।
28. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
29. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार परिषद द्वारा समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
30. सशर्त अथवा प्रतिबंधित निविदा मान्य नहीं होगी।

भवदीय



(इ० अभिषेक राज)

अधिशाली अभियन्ता

पत्र संख्या 924/ M-2

/ 36

9/5

Value
AE

दिनांक

11/11/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कामप्लेक्स, कल्यानपुर कानपुर।
- 3- अधिशाली अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सूचना परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 1- नोटिस बोर्ड।



अधिशाली अभियन्ता